प्रैस के लिए सूचना नोट (प्रैस विज्ञप्ति सं. 09/2025)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'राष्ट्रीय नंबरिंग योजना के संशोधन' पर अनुशसाएं जारी कीं

नई दिल्ली, 06 फरवरी 2025 - भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज 'राष्ट्रीय नंबरिंग योजना के संशोधन' पर अपनी अनुशंसाएं जारी की हैं।

2. दूरसंचार पहचानकर्ता (टीआई)/नंबरिंग संसाधनों का उपयोग दूरसंचार उपभोक्ताओं, सेवाओं, नेटवर्क एलीमेंटस, उपकरणों या अधिकृत इकाइयों की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है। आज के आपस में जुड़े डिजिटल परिदृश्य में अरबों डिवाइस और उपयोगकर्ताओं की पहचान की आवश्यकता है ताकि, दूरसंचार सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच उपभोक्ताओं, व्यवसाइयों और उद्योगों तक हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए नंबरिंग संसाधनों (टीआई) की पर्याप्त उपलब्धता और उनका विश्वसनीय वितरण आवश्यक है।

3. भादूविप्रा को संचार विभाग से पत्र संख्या 16-16/2022-AS-III/123/233 दिनांक 29.9.2022 प्राप्त हुआ था, जिसमें तेजी से विकास, पर्याप्त फिक्स्ड लाइन नंबरिंग संसाधनों की उपलब्धता के चलते उत्पन्न हुई विभिन्न बाधाओं को दूर करने तथा संशोधित राष्ट्रीय नंबरिंग योजना के लिए अनुशंसाएं मांगी गई थीं। संचार विभाग ने फिक्स्ड-लाइन नंबरिंग स्कीम, लेवल '1' शॉर्ट-कोड नंबरिंग संसाधन, सर्विस कंट्रोल प्वाइंट (एससीपी) कोड, सिग्नलिंग के लिए नेशनल सिग्नलिंग प्वाइंट (एसपी) कोड, कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन) के लिए मोबाइल कंट्री कोड-मोबाइल नेटवर्क कोड (एमसीसी-एमएनसी), एम2एम नंबरिंग संसाधन, इंटेलिजेंट नेटवर्क सर्विसेज और नंबर पोर्टेबिलिटी कोड (लोकेशन रूटिंग नंबर) से संबंधित पहलुओं पर जांच और अनुशंसाएं भेजने का भी अनुरोध किया था।

4. तदनुसार, भादूविप्रा ने 06 जून 2024 को 'राष्ट्रीय नंबरिंग योजना के संशोधन' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस संबंध में 08 अक्टूबर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई थी।

5. परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट, ओएचडी के दौरान हुई चर्चाओं और मुद्दों के विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने 'राष्ट्रीय नंबरिंग योजना के संशोधन' पर अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया है।

6. **अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं**

(क) नंबरिंग संसाधनों पर शुल्क -

(i) वर्तमान में नंबरिंग संसाधनों पर कोई अतिरिक्त शुल्क या वित्तीय प्रोत्साहन की सिफारिश नहीं की गई है।

(ii) दूरसंचार विभाग टीएसपी को आवंटित नंबरिंग संसाधनों के वार्षिक उपयोग की निगरानी करेगा और यदि आवश्यक हो, तो अप्रयुक्त नंबरिंग संसाधनों को वापस ले सकता है।

(ख) फिक्स्ड-लाइन सेवाओं में नंबरिंग संसाधन बाधाओं को हल करने के लिए:

(i) वर्तमान में शार्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया (एसडीसीए) (जो कि ज्यादातर तालुका/तहसील हैं) स्तर तक सीमित नंबरिंग संसाधनों को अनलॉक करने के लिए फिक्स्ड-लाइन सेवाओं के लिए एसडीसीए से लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) आधारित 10-अंकीय क्लोज्ड नंबरिंग योजना में स्थानांतरित करें।

(ii) फिक्स्ड-लाइन से फिक्स्ड-लाइन के सभी कॉल के लिए '0' प्रीफिक्स डायल कर एसटीडी कोड और सब्सक्राइबर नंबर डायल करें।

(iii) फिक्स्ड-टू-मोबाइल, मोबाइल-टू-फिक्स्ड और मोबाइल-टू-मोबाइल कॉल के लिए डायलिंग पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(iv) मौजूदा सब्सक्राईबर नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(v) नई नंबरिंग योजना को लागू करने के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा

(vi) एलएसए-आधारित 10-अंकीय क्लोज्ड नंबरिंग योजना के कार्यान्वयन के बाद, फिक्स्ड-लाइन लोकेशन रूटिंग नंबर (एफएलआरएन) कोड का उपयोग करके 10-अंकीय फिक्स्ड-लाइन नंबरिंग योजना को अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के भीतर अपनाया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप एलएसए-आधारित नंबरिंग संसाधनों की देशव्यापी उपलब्धता हो जाएगी । इससे निकट भविष्य में फिक्स्ड-लाइन नंबर पोर्टेबिलिटी (जैसा कि वर्तमान में मोबाइल नेटवर्क में उपलब्ध है) को लागू करने में सुविधा होगी।

(ग) यूसीसी (अवांछित वाणिज्यिक संचार), स्पैम कॉल और सीएलआई स्पूफिंग पर रोक -

(i) दूरसंचार विभाग "भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) सेवा की शुरुआत" पर भादूविप्रा की दिनांक 23.02.2024 की सिफारिशों को को जल्द से जल्द लागू करे, साथ में मोबाइल नेटवर्क पर समाप्त होने वाले सभी SIP (सैशन इनीशिएशन प्रोटोकाल) और PRI (प्राइमरी रेट इंटरफ़ेस) कॉल के लिए CNAP पूरक सेवाओं का शीघ्र कार्यान्वयन किया जाए ।

(ii) सीएलआई (कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन) स्पूफिंग और टेंपरिंग को रोकने के लिए, सीएलआई प्रमाणीकरण ढांचे और वितरित प्रमाणन प्राधिकरण ढांचे को क्रमशः आईटीयू सिफारिशों Q.3057 और Q.3062 के अनुसार लागू किया जाना चाहिए।

(घ) मोबाइल और फिक्स्डलाइन कनेक्शन के लिए नंबरिंग संसाधनों को निष्क्रिय करने की समय सीमा

(i) गैर-उपयोग की 90 दिन की अवधि के समाप्ति से पूर्व टीएसपी द्वारा कोई भी मोबाइल या फिक्स्ड-लाइन कनेक्शन निष्क्रिय नहीं किया जाएगा।

(ii) ऐसे सभी मोबाइल और फिक्स्ड-लाइन कनेक्शन जोकि गैर-उपयोग के कारण निष्क्रिय रहते हैं, उन्हें गैर-उपयोग की 90 दिनों की अवधि के पश्चात 365 दिनों के बाद टीएसपी द्वारा अनिवार्य रूप से निष्क्रिय करना होगा।

(ड़) मोबाइल और मशीन-टू-मशीन (एम2एम) के लिए नंबरिंग संसाधन

(i) **13-अंकीय एम2एम नंबरिंग संसाधन वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं**

(ii) **भादूविप्रा की स्वीकृत सिफारिश को दूरसंचार विभाग द्वारा शीघ्रता से लागू किया जाना चाहिए जिसमें कहा गया था कि 10-अंकीय मोबाइल नंबरिंग श्रृंखला का उपयोग करने वाले सभी सिम-आधारित M2M कनेक्शन को 13-अंकीय M2M संचार में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।**

(च) अन्य नंबरिंग संसाधन-स्तर-1 शॉर्टकोड

(i) **नि:शुल्क तथा केवल सरकारी संस्थाओं को आवंटित किया जाए**

(ii) **शॉर्टकोड का वार्षिक उपयोग ऑडिट किया जाना चाहिए। उपयोगकर्ताओं से परामर्श के पश्चात योग्यता के आधार पर निष्क्रिय शॉर्टकोड को वापस ले लिया जाना चाहिए।**

7. अनुशंसाओं को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in.पर उपलब्ध करा दिया गया है

8. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री अब्दुल कयूम, सलाहकार (ब्रॉडबैंड और नीति विश्लेषण) भादूविप्रा से दूरभाष नंबर +91-11-20907757 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी
7/2/25

अतुल कुमार चौधरी
सचिव, भादूविप्रा
दूरभाष: 20907748/ 20907749
ईमेल : secretary@trai.gov.in